

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 471]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 जुलाई 2022 — श्रावण 5, शक 1944

आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 26 जुलाई 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-11/2020/32.— राज्य शासन, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022 (क्र. 7 सन् 2022) की धारा (1) की उपधारा (3) के अंतर्गत उक्त अधिनियम, दिनांक 14 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त करता है.

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2016/32 दिनांक 28-07-2016 को अधिकमित करते हुए, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्रमांक 21 सन् 2002) की धारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर दिनांक 14 जुलाई, 2022 को अधिसूचित दिनांक घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी.तिर्की, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 26 जुलाई 2022

क्रमांक एफ 7-11/2020/32.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई, 2022 का हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी.तिर्की, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 26th July 2022

NOTIFICATION

No.F 7-11/2020/32.— The State Government, Under Sub-Section (2) of Section 1 of Chhattisgarh Anadhikrit Vikas ka Niyamitikan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022 (No. 7 of 2022) shall come into force from July 14, 2022.

In exercise of the powers conferred by Section 2 of the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas ka Niyamitikan Adhiniyam, 2002 ( No. 21 of 2002) and in supersession of its earlier Notification Number F 7-10/2016/32 dated 28-07-2016, the State Government hereby declares as the Notified date 14 July, 2022.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
C.TIRKEY, Deputy Secretary.